

खबर संक्षेप

श्रीमद् भागवत कथा का हुआ मृत्यु समापन

मण्डला। जिले के ग्राम हिरदेनगर स्थित कालिका झरोपी कुंज में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर हवन-पूजन भंडारा के साथ प्रसादी वितरण किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किए। कथा का आयोजन 10 मार्च से प्रारंभ होकर 17 मार्च तक चला जिसमें प्रतिदिन दोपहर से सायं तक श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उपस्थित रहे। कथा के अंतिम दिवस यज्ञ, हवन एवं पूर्णाहुति के साथ पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। कथावाचक परम पूज्य संत प्रवर सिया बल्लभदास वेदांती जी महाराज अयोध्या धाम द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और मानव जीवन के मूल्यों का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा के दौरान महारास, श्रीकृष्ण-रविमणी विवाह, गोवर्धन लीला एवं सुदामा चरित्र जैसे प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। समापन दिवस पर विधि-विधान से हवन-पूजन किया गया जिसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में डूबा नजर आया। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य यजमान श्री प्रकाश-ज्योति मिश्रा परिवार रहे जिन्के द्वारा पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। आयोजक भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, अनिल मिश्रा एवं समस्त मिश्रा परिवार ने भागवत कथा के आयोजन में उपस्थित धर्मप्रेमियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं कथा का श्रवण करने प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, सासंद फगन सिंह कुलसेत, कैबिनेट मंत्री श्रीमति सम्पति उईके सहित अनेक जनप्रतिनिधि समाजसेवी एवं धर्मप्रेमी पहुंचे।

\* जनजातीय मंत्रालय के आदेश की अनदेखी।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

पारदर्शी शासन-ईमानदार प्रशासन जैसे शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन इन नारों को जो दुर्गाति इन दिनों मण्डला में हो रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। एक तकनीकी अधिकारी शासकीय कार्यों में रहते हुये रिश्त लेता है लोकयुक्त द्वारा उसे रंगे हाथों पकड़ा जाता है लेकिन इसके बाद भी वह धड़ल्ले से उसी पद पर काबिज रहते हुये जिले में न केवल करोड़ों के निर्माण कार्य रहा है बल्कि करोड़ों रुपये के भुगतान के बिल भी उसी के द्वारा पास किये जा रहे हैं जबकि जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय के द्वारा उसके स्थानांतरण का आदेश निकाला गया पुलिस अधीक्षक विशेष स्थानांतरण पुलिस लोकयुक्त कार्यालय द्वारा उसे अनुर्य स्थानांतरित करने के आदेश जारी किये गये इन सबके बावजूद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा न तो उसका स्थानांतरण ही किया गया और न ही जनजातीय मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुये उसे मण्डला से कार्य मुक्त किया गया। शायद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला इतनी पहुंच वाली है कि उनके सामने न तो मंत्रालय का आदेश ही कोई अहमियत रखता है और न ही लोकयुक्त के निर्देशों की कोई हैसियत है।

11 सितम्बर 2025 को



लोकयुक्त की टीम ने कार्यवाही करते हुये जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ सहायक यंत्री नरेन्द्र गुप्ता को 20 हजार रुपये की रिश्त लेते रंगे हाथों पकड़ा था अनुपपुर जिले के बिल्डर द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके काम के बिल भुगतान के बदले नरेन्द्र गुप्ता उससे 56 हजार रुपये रिश्त मांग की जा रही थी और यह 20 हजार रुपये उस रिश्त की पहली किस्त थी जिसे लेते हुये नरेन्द्र गुप्ता को रंगे हाथों लोकयुक्त पकड़ लिया था भ्रष्टाचार निर्माण बुहानपुर में सहायक यंत्री के रिक्त पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ करते हुये कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा गया जिसमें इस तकनीकी अधिकारी को अनुर्य स्थानांतरित करने की बात कही गई थी जिसकी प्रति सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला को भी भेजी

गई लेकिन नरेन्द्र गुप्ता को पद से न तो हटया गया और न ही उन्हें अनुर्य स्थानांतरित किया गया। इसके बाद 02 जनवरी 2026 को मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा एक आदेश जारी होता है जिसमें नरेन्द्र कुमार गुप्ता उच्च पद प्रभार प्राप्त सहायक यंत्री (मूल पद उपयंत्री) कार्यालय सहायक आयुक्त मण्डला को जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास जिला बुहानपुर में सहायक यंत्री के रिक्त पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ करते हुये कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजातीय आदिम जाति कल्याण विभाग को भेजा गया जिसमें इस तकनीकी अधिकारी को अनुर्य स्थानांतरित करने की बात कही गई थी जिसकी प्रति सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला को भी भेजी



मण्डला द्वारा इस आदेश का पालन आज दिनांक तक नहीं किया गया इस आदेश की प्रति कलेक्टर मण्डला को भी भेजी गई उसके बावजूद भी सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला

द्वारा इसे स्थानांतरित करना तो दूर बल्कि जो प्रशासन द्वारा 02 अन्य अधिकारी इस विभाग में कार्य हेतु लगाये गये थे उनसे ऊपर इस रिश्तखोर अधिकारी को न केवल पूरे जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई बल्कि समस्त देयको के भुगतान और कार्य के मूल्यांकन का प्रभार इसी रिश्तखोर अधिकारी को दिया गया है। इसी तरह से जिले में ऐसे रिश्तखोरों को प्रोत्साहित किया जाता रहा तो फिर जनता में से कौन ऐसे बेईमान लोगों की शिकायत करेगा, क्यों लोकयुक्त के अधिकारी ऐसे बेईमानों को पकड़ने के लिये रात-दिन एक करेगे और कैसे हमारे जिले के युवाओं में ईमानदारी की भावना घर करेगी, कैसे प्रशासन पारदर्शी होगा?

लंबित दावों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

मण्डला। जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा वनाधिकार से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण एवं कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देशित किया गया कि वनाग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी जाए तथा प्रपत्र 01, 02, 03 पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही एम.पी. वनमित्र पोर्टल पर लंबित दावों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक शुक्रवार को बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। कलेक्टर ने संपरिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों से दावा फार्म भरवाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए अमान्य दावों पर स्पष्ट कारण सहित अभिमत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व में निरस्त दावों के पुनः परीक्षण में लंबित 2 प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि वनमित्र पोर्टल पर दर्ज नवीन व्यक्तिगत दावों का निराकरण ग्राम एवं उपखंड स्तर पर समयबद्ध तरीके से किया जाए। वहीं, सामुदायिक वन संसाधन से संबंधित प्राप्त दावों को ग्राम एवं उपखंड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति को भेजा जाए। उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति बिधिया से प्राप्त 51 मान्य एवं 54 अमान्य दावों के निराकरण के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

बिधिया क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई-13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/मुआबिधिया

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार एवं अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) बिधिया सोनली देव के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं गैस उपयोग संबंधी नियमों के पालन हेतु विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिधिया क्षेत्र के इंडियन बिरयानी (बस स्टैंड बिधिया) आजाद बिरयानी बिधिया, कान्हा फॉरेस्ट होम स्टे सहरी तथा नर्मदा भोजनालय बंजारी में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया- जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया



कार्रवाई करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री इंद्रजीत सिंह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बिधिया श्रीमती रश्मि गौतम द्वारा कुल-13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए तथा मौके पर ही जपनी पंचनामा की कार्यवाही की गई।

नारायणगंज में भी घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग दिनांक 17.03.2025 को तहसील नारायणगंज क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक दुरुपयोग के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान

विभिन्न होटल एवं दाबों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया। जांच में निम्न प्रतिष्ठानों में सिलेंडर पाए गये जिसमें होटल आनं एवं दाबा पर कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर व्यवसायिक उपयोग में पाए जाने पर

आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई तहसीलदार नारायणगंज श्री संगम शर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री अजय झारिया मुख्यालय पटवारी धर्मेंद्र आरमो आरक्षक प्रशांत बघेल के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाएगी, ताकि घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिधिया की कार्यकारणी का हुआ गठन

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/मुआबिधिया

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिधिया का गठन किया गया है। आज दिनांक 17/03/26 दिन मंगलवार को आम सहमतित से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिधिया की कार्यकारणी का गठन किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिधिया कार्यकारणी के गठन के पश्चात बिधिया ब्लॉक के समस्त मंडलम अध्यक्षों को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया एवं उन्हें आने वाले चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में बंधू चढ़ कर कार्य करने की प्रेरणा दी। समस्त नवनि्युक्त मंडलम अध्यक्षों का हॉटेल्लास के साथ



स्वागत किया गया। समस्त कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशांक गोस्वामी का कांग्रेस का गमछा पहनाकर तिलक वंदन कर स्वागत किया गया। जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप गोस्वामी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योत सिंह ठाकुर टेकराम राय अशोक ठाकुर जनपद सदस्य रागनी परते मेवा लाल धुवें

अशोक ज्योतिषी मोहन पटेल डमरू राजपूत संतोषी मोंगेर अक्षत झारिया टोनी मिश्रा निखिल राजपूत मंडलम अध्यक्षों में औरई मंडलम अध्यक्ष मेवा धुवें खटोला मंडलम अध्यक्ष चमन यादव, कोको मंडलम जागृत मरावी दानिोला मंडलम अंगद सहू मंडलम श्याम आयाम देई रोशन भवेदी एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

अनदेखी आबकारी विभाग नहीं दे रहा ध्यान, टेकेदार के होसले बुलंद।

बम्हनी शराब दुकान की घर पहुंच सेवा

\* दिखावे के लिये कमी कमार होती कार्यवाही।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/बम्हनीबंजर

बम्हनीबंजर स्थित शराब दुकान से लगातार अवैध रूप से शराब की खेप गांव गांव पहुंचाई जा रही है और इस प्रकार अवैध रूप से पहुंचाई जा रही शराब आसपास के गांव में छोटी दुकानों में टपटपों में धड़ल्ले से बेची जा रही है लेकिन आबकारी विभाग आंचे मूंद कर बैठा हुआ है ना ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही कर रहा है और ना ही इस प्रकार बेखोप और बेधड़क गांव गांव और घर घर पहुंचाई जा रही शराब में अंकुश लगा पा रहा है। क्व्या मोटा कमीशन लेकर आबकारी विभाग शांत बैठा हुआ है। इस शराब दुकान से महान 50 मीटर की दूरी पर बम्हनी थाना स्थित है लेकिन पुलिस प्रशासन की भी इस प्रकार अवैध रूप से सप्लाई की जा रही शराब पर नजर नहीं पड़ रही है या जानबूझकर नजर नहीं डाली जा रही है। गली मोहल्ले बिकती इन शराब से लगातार घरों में कलह बढ़ रही है और शराब पीकर शराबियों द्वारा गाली गलौज की जा रही है जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। क्व्या



मार्च अकाउंट की क्लोजिंग के कारण इस प्रकार सप्लाई हो रही अवैध शराब के लिए आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग प्रदान किया जा रहा है और मोटा कमीशन सेट करके मूकदर्शक बनकर बैठे हुए हैं। विगत सप्ताह पहले हुए अगले साल के टेके में मंडला जिले की शराब दुकानों की रिकॉर्ड लगभग 125 करोड़ की बोली लगाई गई थी जो यह दर्शा रही है कि प्रशासन ने जिले को शराब का अड्डा बनाने का फैसला ले लिया है। इतनी महंगी बोली होने के कारण उसकी वसूली के लिए घर घर अवैध रूप से सप्लाई में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग प्रदान करना चाहता है।

दाबा की आड़ में चल रहे अहाते साथ ही बम्हनी शराब दुकान के आस पास संचालित दाबे की आड़ में अहाते चलाए जा रहे हैं जिससे आस पास के रहवासी परेशान हैं इन दाबों में बैठाकर शराब पिलाई जा रही है और शराबियों द्वारा गाली गलौज मारपीट करके माहौल खराब किया जाता है जिससे आस पास के क्षेत्र वासी परेशान हो चुके हैं गाली गलौज होने के कारण माताएं, बहनें, आने जाने वाले राहगीर बहुत परेशान हैं। शराबियों द्वारा इन दाबों में शराब पीकर इस प्रकार का माहौल बना दिया जाता है कि उस क्षेत्र से गुजरने वाली महिलाओं, स्कूली बच्चों के लिए

समस्या उत्पन्न होती है। उस क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शराबियों द्वारा शराब की बॉटल उनके घर के आस पास फोड़ दी जाती है जिससे रहवासी और राहगीर घायल हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इन दाबे संचालकों को विशेष राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है जिसकी शह में सारे नियमों और प्रशासन के डर को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से बैठाकर शराब पिला रहे हैं। इन दाबों के पास ही धार्मिक आस्था का केंद्र लमती तालाब स्थित है लेकिन उसमें भी शराब की बॉटल और मूर्गा मछली के अवशेष फेंके जा रहे हैं जिससे नगरवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है।

मनरेगा मेट संघ की हुई आवश्यक बैठक

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/नरारयणगंज

दिनांक 17/03/2026 दिन मंगलवार को जनपद पंचायत नारायणगंज सभा कक्ष में मनरेगा मेट की बैठक हुई, जिसमें समस्त 50 पंचायत के मेट भाई बहन उपस्थित रहे मनरेगा अधीकारी पंकज साहू के द्वारा nmhms के तहत नया वर्जन 3.6.2 aap के बारे में जानकारी दी गई एवं जल गंगा संवर्धन के तहत आगामी 19/03/2026 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस अभियान का उद्घाटन किया जाएगा एवं



संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित कर TS करवाने हेतु समझाएं दी गई। मनरेगा मेट संघ नारायणगंज के

द्वारा मीटिंग रखा गया जिसमें विगत माह जनवरी, फरवरी में कराए गए रोजगार गारंटी के विभिन्न कार्यों

कार्यालय ग्राम पंचायत कुम्हां जनपद पंचायत नारायणगंज मण्डला

-निविदा सूचना:- ग्राम पंचायत कुम्हां में समस्त पक्के निर्माण कार्य हेतु सामग्री लोहा, गिट्टी, सीमेंट, ईंट, रेत एवं स्टेशनरी सामग्री आदि की आवश्यकता है वर्ष 2026-27 के लिये जी.एस.टी. बिल वाले निर्माण सामग्री सप्लायरों से बंध लिफाफे में दिनांक 25.03.2026 दिन बुधवार को समय 3 बजे से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर पढ़ी व देखी जा सकती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत पाटा जनपद पंचायत नारायणगंज मण्डला

-निविदा सूचना:- ग्राम पंचायत पाटा में समस्त पक्के निर्माण कार्य हेतु सामग्री लोहा, गिट्टी, सीमेंट, ईंट, रेत एवं स्टेशनरी सामग्री आदि की आवश्यकता है वर्ष 2026-27 के लिये जी.एस.टी. बिल वाले निर्माण सामग्री सप्लायरों से बंध लिफाफे में दिनांक 25.03.2026 दिन बुधवार को समय 3 बजे से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर पढ़ी व देखी जा सकती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत घोटखेड़ा जनपद पंचायत नारायणगंज मण्डला

-निविदा सूचना:- ग्राम पंचायत घोटखेड़ा में समस्त पक्के निर्माण कार्य हेतु सामग्री लोहा, गिट्टी, सीमेंट, ईंट, रेत एवं स्टेशनरी सामग्री आदि की आवश्यकता है वर्ष 2026-27 के लिये जी.एस.टी. बिल वाले निर्माण सामग्री सप्लायरों से बंध लिफाफे में दिनांक 25.03.2026 दिन बुधवार को समय 3 बजे से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर पढ़ी व देखी जा सकती है।

कार्यालय ग्राम पंचायत डालाखापा जनपद पंचायत नारायणगंज मण्डला

-निविदा सूचना:- ग्राम पंचायत डालाखापा में समस्त पक्के निर्माण कार्य हेतु सामग्री लोहा, गिट्टी, सीमेंट, ईंट, रेत एवं स्टेशनरी सामग्री आदि की आवश्यकता है वर्ष 2026-27 के लिये जी.एस.टी. बिल वाले निर्माण सामग्री सप्लायरों से बंध लिफाफे में दिनांक 25.03.2026 दिन बुधवार को समय 3 बजे से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर पढ़ी व देखी जा सकती है।



**खबर संक्षेप**

**प्रतिबंध के बावजूद नलकूप खनन प्रशासन की सख्ती पर उठे सवाल**



अमरपुर। जल अभाव की स्थिति को देखते हुए डिंडोरी जिले में नलकूप खनन पर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ही एसडीएम की अनुमति से नलकूप खनन किया जा सकेगा। इसके बावजूद अमरपुर विकासखंड के सिधौली ग्राम पंचायत अंतर्गत छिंदवा टोला पिपरिया में नियमों की अनदेखी सामने आई है। जानकारी के अनुसार महेंद्र कुमार वास्पा को कृषि विभाग से नलकूप खनन की स्वीकृति तो मिली है लेकिन प्रशासनिक अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बावजूद मंगलवार दोपहर मशीन लगाकर खनन कार्य शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों की सूचना पर जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची तो खनन कार्य कर रहे लोग मशीन बंद कर मौके से निकल गए। बताया जा रहा है कि सहयोगी वाहन में रखी सामग्री भी तत्काल हटा ली गई। मामले की जानकारी मिलने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा की कार्रवाई की गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा आगे क्या कदम उठाए जाएंगे इस पर अब सभी की नजर बनी हुई है। घटना ने प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

**घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई दो सिलेंडर जब्त**



डिंडोरी। कलेक्टर अंजु पवन भदौरिया के निर्देश पर खाद्य विभाग ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। समानापुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितिन जायसवाल और आकाश तुरकर की टीम ने दो सिलेंडरों पर छापामार कार्रवाई की। जांच में मनोहर चाय समानापुर और गुनगुन फास्ट फूड सेंटर समानापुर में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पाया गया। कार्रवाई के दौरान दोनों सिलेंडरों से एक एक सिलेंडर जब्त कर कुल दो घरेलू गैस सिलेंडर मौके से जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों को समानापुर इंडेन गैस एजेंसी को सौंप दिया गया। खाद्य विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के उल्लंघन के तहत की गई है और संबंधित सिलेंडरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

**जल संसाधन विभाग के कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा**

डिंडोरी। कलेक्टर श्रीमती अंजु पवन भदौरिया ने जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित सिंचाई एवं निगम कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों से अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई।

# जनसुनवाई में 73 आवेदन प्राप्त समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश

कलेक्टर समानापुर में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिलेभर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और संवेदनशीलता के साथ उनके निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। डिंडोरी।

जनसुनवाई में कुल 73 आवेदन प्राप्त हुए जिन पर कलेक्टर अंजु पवन भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महेंद्रवानी क्षेत्र के सुदामा प्रसाद साहू और रामचरन साहू ने महेंद्रवानी से चकदेही मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया में अनियमितता और डायवर्सन मार्ग के मुआवजे का भुगतान नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी के कारण पुलिया अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। समानापुर की



## आकांक्षी विकासखंड बजाग में संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत प्रशिक्षण आयोजित

हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। जिले के आकांक्षी विकासखंड बजाग में संपूर्णता अभियान 2.0 के अंतर्गत एक दिवसीय समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम कलेक्टर श्रीमती अंजु पवन भदौरिया के मार्गदर्शन और एसडीएम रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बैठक में स्वास्थ्य विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग शिक्षा विभाग कृषि विभाग आजीविका मिशन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अभियान के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी संकेतकों में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने विकासखंड के समग्र विकास के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। एसडीएम रामबाबू देवांगन ने कहा कि संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत सभी विभाग मिलकर कार्य करेंगे और क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर में सुधार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को व्यवहार में लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के महत्व को समझाते हुए बताया कि यह नागरिकों को शासन से जानकारी प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। इसके अलावा वाश एंड व्हील सेवा के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में नियमित स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। स्वच्छता साथी राजेश साहू ने कहा कि उनका लक्ष्य स्कूलों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है और वे इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने कार्यों की प्रगति प्रस्तुत की और भविष्य की कार्ययोजना पर विचार साझा किए। अंत में सभी ने मिलकर विकासखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

# हाईवे बना झटकों का सफर निर्माण अनियमितताओं पर अदालत सख्त नोटिस जारी

डिंडोरी।

जिला डिंडोरी में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य में तकनीकी अनियमितताओं मानक उल्लंघनों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों के चलते दायर प्रकरण में लोकउपयोगी लोक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण जिला व्यापारी संघ डिंडोरी द्वारा दायर किया गया है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सय्यक जैन और केके सोनी ने न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत डीपीआर भारतीय सड़क कांग्रेस और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग अनुसार नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि लगभग 5,315 करोड़ रुपये की लागत से



संचालित कुंडम-शहपुरा शहपुरा-डिंडोरी डिंडोरी-सागर टोला-कबीर चवूरा डिंडोरी-मंडला और समानापुर-बाजाग मार्ग खंडों में व्यापक तकनीकी कमियां पाई जा रही हैं। सड़क पुनर्निर्माण में मौजूदा सड़क को पूर्ण रूप से उखाड़ने के बजाय केवल ऊपरी बिटुमिनस परत को एक से दो इंच हटाकर औपचारिकता पूरी की जा रही है जो आईआरसी और मोथं मानकों का उल्लंघन है। न्यायालय को यह भी अवागत कराया गया कि स्लैब कल्वट और माइनर ब्रिज के एप्रोच हिस्सों में गंभीर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो चुका है जिससे वाहनों के गुजरने पर उछाल पैदा हो रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही सड़क की ज्योमेट्रिक

प्रोफाइल वर्टिकल कर्व सुपर एलिवेशन और ड्रेनेज व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं जिसके कारण सामान्य गति पर यात्रियों को तेज झटके महसूस हो रहे हैं। लोकउपयोगी लोक अदालत ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डिंडोरी को नोटिस जारी कर मामले में पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में प्रतिवादियों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता तकनीकी अनुपालन निरीक्षण व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत जवाब अपेक्षित है। लोक अदालत के इस हस्तक्षेप से जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गुणवत्ता पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई जा रही है।



शहपुरा। स्थानीय शिव मंदिर शक्ति चौक में नगर साहू समाज द्वारा भक्त शिरोमणि माता कर्मा की जयंती बड़े श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेधावी छात्रों के सम्मान का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर में रामायण पाठ से हुआ जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से भर गया। इसके बाद माता कर्मा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई जिसमें समाजजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मंचीय कार्यक्रम में छोटे कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कक्षा पांचवीं अठावीं दसवीं और बारहवीं में उच्च परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को

उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने माता कर्मा के भक्तिपूर्ण जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यशवंत साहू उपस्थित रहे। अध्यक्षता शिवदयाल साहू ने की जबकि विमला साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

मुख्य वक्ता पंडित वीरेंद्र पाठक और पुजारी पंडित नीरज ने उपस्थित जनसमूह को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। आयोजन को सफल बनाने में नगर साहू समिति के पदाधिकारी और सदस्य हेताराम साहू राजकुमार साहू अमित साहू अमर साहू सुरेंद्र साहू नीरज साहू कुनेंद्र साहू रवीश साहू ओमकार साहू कमल साहू प्रह्लाद साहू हरिओम साहू अधिनी

साहू पंकज साहू सहित समाज की माताएं बहनें बच्चे और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन पर महाभोग का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित जनसमूह को खीर और रबड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। शिव मंदिर प्रबंधन समिति और नगर साहू समाज ने सभी स्वजाति बंधुओं के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।



## नरवाई प्रबंधन पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

डिंडोरी। कृषि अभियांत्रिकी विभाग डिंडोरी द्वारा चयनित यंत्र दूत ग्राम चंद्रगढ़ विकासखंड अमरपुर में नरवाई प्रबंधन विषय पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और तकनीकों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान उपयंत्री सुश्री पुनम कोराम ने किसानों को कृषि यंत्रीकरण के महत्व की जानकारी देते हुए विभिन्न कृषि यंत्रों के उपयोग और शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नरवाई प्रबंधन में उपयोग होने वाले आधुनिक यंत्रों जैसे सुपर सीडर हैप्पी सीडर स्ट्री रोपर बेलर स्मार्ट सीडर और किसान ड्रोन के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से इन यंत्रों की उपलब्धता और उपयोग की प्रक्रिया भी समझाई। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान जैसे वायु प्रदूषण मुदा की उर्वरता में कमी और सूक्ष्मजीवों के नष्ट होने के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही यांत्रिक विधियों से नरवाई प्रबंधन के लाभों पर प्रकाश डाला गया जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। कार्यक्रम में कृषि विकास अधिकारी श्री मूलचंद बच्छेल ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए मुदा परीक्षण के महत्व को बताया। उन्होंने किसानों को समझाया कि मुदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और लागत कम की जा सकती है। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को नरवाई प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया गया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। अंत में कृषि अभियांत्रिकी विभाग डिंडोरी ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील की।

# मीसा बंदी की पुकार न्याय के लिए कलेक्टर दरबार पहुंचे जयनारायण साहू



डिंडोरी। शहपुरा नगर के वरिष्ठ मीसा बंदी लोकतंत्र सेनानी जयनारायण साहू अपनी समस्या लेकर कलेक्टर अंजु पवन भदौरिया के समक्ष पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर ने उन्होंने भावुक होकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और लंबे समय से प्रताड़ना झेलने की बात कही। साहू ने बताया कि उमरिया रोड स्थित खसरा नंबर 132 बटा 2 में उनकी निजी भूमि है जहां कथित रूप से भाजपा मंडल द्वारा अवैध रूप से टपरा रखकर कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज और विवाद की स्थिति बन रही है। उनका कहना है कि पहले भी शिकायत दी गई लेकिन

कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित भूमि अलग दिशा में स्थित होने के बावजूद सीमांकन नहीं होने से विवाद बढ़ता जा रहा है। कई बार

सीमांकन की मांग करने के बाद भी इसे टालने का आरोप लगाया गया है। अपनी बात रखते समय जयनारायण साहू भावुक हो गए और उन्होंने शासन से प्राप्त ताम्रपत्र

कलेक्टर के सामने वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सम्मान नहीं मिल रहा तो इस सम्मान का कोई महत्व नहीं है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ताम्रपत्र वापस सौंपते हुए संवेदनशीलता दिखाई और उन्हें पानी पिलाया। जयनारायण साहू ने चेतावनी दी है कि यदि दस दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के सामने आमरण अनशन करेंगे। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और लोग प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।

# शारदा टेकरी पहाड़ी पर निर्माण कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण गुणवत्ता पर जोर

डिंडोरी।

कलेक्टर अंजु पवन भदौरिया ने शारदा टेकरी पहाड़ी पर पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में बन रहे शैल्टर प्रतीक्षालय सीढ़ियां बैठक व्यवस्था पेयजल सुविधा रैलिंग और बाउंड्री वॉल के कार्यों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण ढंग से करने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिसर में साफ सफाई बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। कलेक्टर ने संबंधित



अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय मानकों का पालन करते हुए समय सीमा में पूरे किए जाएं ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पर्यटन

विभाग के एसडीओ ने जानकारी दी कि लगभग दो माह में सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। कलेक्टर ने परिसर में साफ सफाई और आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र कराने के निर्देश

भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ दिवांशु चौधरी एसडीएम डिंडोरी भारती मेरावी नाथब तहसीलदार शंशक शोण्डे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

